उत्तर प्रदेश
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-1776/77-6-05-41 टैक्स/01
लखनऊ : दिनांक : 21 जुलाई, 2005

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003 जो शासनादेश संख्या-3090/ 77-6-03 -41 (टैक्स)/01 दिनांक 06 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गयी थी, में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) नियमावली, 2005

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ	1(1)	यह नियमावली ओद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी।
	(2)	यह सत्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।
	(3)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 13 क संशोधन	2	ओद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में किया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
13- अपवाद नियमावली में किसी अन्यथा प्राविधान के होते हुए भी ऐसी पात्र मेगा इकाईयों जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि 11.03.2003 से 05.11. 2003 के बीच हो, जिन्होने नियमावली के प्रस्तर-5(1) के अनुसार दिनांक 30.9.2004 तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रस्तर-5(6) में उल्लिखित प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया हो, को इकाई के वार्षिक विक्रय धन का न्यूनतम 5 प्रतिशत व्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऐसा ऋण व्यापार-कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में भुगतान की गयी धनराशि से सीमित नहीं होगा। नियमावली के प्रस्तर-5(4) के प्राविधान ऐसी इकाईयों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगे किन्तु नियमावली के अन्य प्राविधान ऐसी इकाईयों पर यथावत प्रभावी रहेगें।	13- अपवाद-इस नियमावली में किसी अन्यथा प्राविधान के होते हुए भी ऐसा पात्र मेगा इकाईयों जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि 11.3.2003 से 05. 11.2003 के बीच हो, जिन्होने नियम-5(1) के अनुसार दिनांक 30.9.2004 तक व्याज मुक्त ऋण हेतु नियम 5(6) में उल्लिखित प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया हो, को इकाई के वार्षिक विक्रय धन का 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक व्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऐसा ऋण व्यापार-कर एवं केन्द्रीय विक्री कर के रूप में भुगतान की गयी धनराशि से सीमित नही होगा। नियम-5(4) के प्राविधान ऐसी इकाईयों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगे किन्तु इस नियमावली के अन्य प्राविधान ऐसी इकाईयों पर यथावत् प्रभावी रहेगें। उल्लिखित 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत व्याज मुक्त ऋण का निर्धारण यू.पी.एफ सी. तथा पिकप द्वारा निम्न सारणी के अनुसार किया जायेगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्तम्भ-1 **स्तम्भ-2**

(रूपये करोड़ में) **(सारणी परिकल्पित ऑकड़े)**

पूॅजी निवेश	**वार्षिक विक्रय धन**	**पूॅजी निवेश/वार्षिक विक्रय धन का अनुपात**	**व्याज मुक्त ऋण (वार्षिक विक्रय धन के प्रतिशत के रूप में से)**
10.00	10.00 या कम	10 : 10 या उससे कम	5X10/10=5%
10.00	12.00	10:12	5X12/10=6%
10.00	15.00	10:15	5X15/10=7.5%
10.00	20.00 या अधिक	10:20	5X20/10=10%

आज्ञा से,

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव,
औद्योगिक विकास अनुभाग,
उत्तर प्रदेश